न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 09 / 2017 / प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 14.11.2017
निर्णय दिनांक– 25.04.2019

श्री भगवत सिंह पिता श्री ईश्वर सिंह राजपूत निवासी रायपुर तहसील अरनोद व जिला प्रतापगढ़

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती अनुरोधा पुत्री श्री ईश्वर सिंह पति सहर्ष जंगबहादुरा सिंह राजपूत निवासी रायपुर हाल मुकाम इन्दौर (म0प्र0)
2. श्रीमती सुनिला पुत्री श्री ईश्वर सिंह पति एस.एच.चौहान निवासी रायपुर हाल मुकाम इन्दौर (म0प्र0)
3. श्रीमती मंजुला पुत्री श्री ईश्वर सिंह पति विक्रम सिंह राजपूत निवासी रायपुर हाल मुकाम इन्दौर (म0प्र0)
4. श्री रघुवीर सिंह पिता श्री ईश्वर सिंह राजपूत निवासी रायपुर हाल उदयपुर जिला उदयपुर
5. श्री दुश्यन्तसिंह पिता श्री ईश्वर सिंह राजपूत निवासी रायपुर हाल रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
6. श्री घनश्याम सिंह पिता श्री ईश्वर सिंह राजपूत निवासी रायपुर हाल इन्दौर (म0प्र0)
7. ग्राम पंचायत रायपुर जरिये सरपंच साहब, रायपुर
8. तहसीलदार अरनोद

..................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :
श्री लोकेश दवे : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री दुर्गासिंह शक्तावत : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद
के प्रकरण संख्या 04 / 2016 निर्णय दिनांक 13.04.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 25.04.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद के प्रकरण संख्या 04/2016 निर्णय दिनांक 13.04.2017 के विरूद्ध दिनांक 24.07.2017 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा श्री ईश्वर सिंह पिता सोहनसिंह निवासी रायपुर की मृत्यु होने के पश्चात् उनके खाते शुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 25.02.1972 श्री रघुवीर सिंह, दुश्यन्तसिंह, श्री घनश्यामसिंह, श्री भगवतसिंह पिता ईश्वरसिंह राजपूत निवासी रायपुर के नाम स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद के यहॉ स्व. श्री ईश्वरसिंह की पुत्रियां अनुरोधा, सुमिला, मंजुला द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.04.2017 से वादग्रस्त आराजीयात विरासत से प्राप्त होने से उनकी पुत्रियों का भी बराबर हक व हिस्से की हकदार होना मानते हुए ग्राम रायपुर का नामान्तरकरण संख्या 207 को निरस्त करते हुए ग्राम पंचायत रायपुर को पुनः सुनवाई कर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 10.04.2019 को सुनी गई। रेस्पो. सं. 7 व 8 बावजूद तामिल अनुपस्थित है तथा वे अन्यथा भी औपचारिक पक्षकारान है।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एवं संबंधित विधि का सम्यक रूपेण अध्ययन नहीं कर मात्र ईश्वर सिंह की पुत्री होने के कारण रेस्पो. सं. 1 से 3 का अधिकार होना मान नामान्तरकरण आदेश को अपास्त कर दिया जबकि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 1956 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं स्व. श्री ईश्वर सिंह की मृत्यु सन् 1971 में होने का हवाला दिया था तथा यह भी कथन किया कि अपीलान्ट व दीगर प्रत्यर्थी संख्या 4, 5, 6 के पक्ष में नामान्तरकरण खुलने की प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को भलीभॉति जानकारी थी तथा 44 वर्षों तक उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 6 द्वारा अपीलान्ट को परेशान

Web Copy - Not Official

करने की दुर्मन्शा से 44 वर्षों के बाद अपील प्रस्तुत की है एवं इतने विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं दर्शित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद के बिन्दु पर दिनांक 01.06.2016 को नामान्तरकरण की जानकारी होना अपीलान्ट के कथनों को ध्रुव सत्य मानकर एक तरफा मानस बनाकर धारा 5 मयाद अधि. का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में भारी त्रुटि की है। प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 तक ने नामान्तरकरण आदेश की जानकारी नहीं होना प्रार्थना पत्र में मिथ्या अंकित किया गया है। उक्त नामान्तरकरण अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट का वर्णित कृषि भूमियों पर आज तक कभी कब्जा काश्त या खातेदारी हक नहीं रहा है न कभी लगान जमा कराया है। ये सन् 1956 से पूर्व ही शादीशुदा होकर अपने–अपने ससुराल में रहती है और पिता की मृत्यु से ही अपना–अपना तथाकथित क्लेम छोड़ चुकी है। केवल रेस्पो. सं. 4 से 6 जो कि अपीलान्ट से आपसी रंजिश रखते है के बहकावे से विधि विरूद्ध कार्यवाही की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी से मौके की रिपोर्ट भी नहीं मंगवाकर 44 वर्षों के विलम्ब को विधिविरूद्ध तरीके से कण्डोन करते हुए नामान्तरकरण को निरस्त करने के जो आदेश दिये वह विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट को न्यायालय के इस निर्णय की जानकारी दिनांक 11.07.2017 को होने से उनके द्वारा बिना विलम्ब किये यह अपील दिनांक 24.07.2017 को पेश की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.04.2017 को अपास्त फरमाते हुए नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 25.021972 को बहाल रखा जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपनी बहस में बताया कि स्व. श्री ईश्वरसिंह पिता सोहनसिंह के चार पुत्र क्रमशः श्री रघुवीरसिंह, श्री भगवतसिंह, श्री दुश्यन्तसिंह, श्री घनश्यामसिंह एवं तीन पुत्रियां क्रमशः अनुराधा, सुनिला, मंजुला एवं पत्नि श्रीमती रूपकुंवर जिनकी मृत्यु हो चुकी है वारीस थे, किन्तु ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा श्री ईश्वरसिंह की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 207 उनके चार पुत्रों एवं पत्नि के नाम स्वीकृत कर दिया जबकि उनके तीन पुत्रियां भी वारीस थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 तक को इस नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी एवं जब उनकी जानकारी में आया कि उनके पिता की भूमि का विरासत से स्वीकृत नामान्तरकरण में उनके नाम नहीं है तो उन्होंने नामान्तरकरण की प्रतिलिपि प्राप्त कर उसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 207 में रेस्पो. सं. 1 से 3 का नाम नहीं होने से उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने का आदेश देते हुए विधि सम्मत तरीके से नया नामान्तरकरण दर्ज करने का जारी आदेश दिनांक 13.04.2017 न्याय की दृष्टि से उचित है। अतः अपील अपीलान्ट को खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.04.2017 को बहाल रखा जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। प्रकरण के समग्र तथ्यों, प्लीडिंग्स एवं रेकर्ड के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि यह स्वीकृत स्थिति है कि रेस्पो. सं. 1 से 3 मृतक ईश्वरसिंह की पुत्रियां है। ईश्वरसिंह का देहावसान वर्ष 1971 में होना भी स्वीकृत स्थिति है। ईश्वरसिंह की मृत्यु के समय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 प्रभावी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार किसी हिन्दु की विरासत में उसके पुत्र, पुत्रियां एवं विधवा सम्मिलित रूप से प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होते है। इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से पुत्रियों को ईश्वरसिंह की विरासत से वंचित रखा गया है तथा विरासत का नामान्तरकरण उनके पुत्र एवं पत्नी के नाम ही दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.04.2017 में पुत्रियों के अधिकार को मानते हुए प्रकरण में सिर्फ पुत्र व पत्नी के नाम खोले गये नामान्तरकरण को विधि विरूद्ध माना है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय को मियाद के आधार पर त्रुटिपूर्ण होना बताते है जबकि विधिक स्थिति यह है कि विधि विरूद्ध निर्णय में मियाद महत्वपूर्ण नहीं होती। उक्त निर्णय स्पष्टतया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध है अतः ऐसे निर्णयों पर मियाद का महत्व ही नहीं है। प्रकरण में रेस्पों. सं. 1 से 3 को विवादित नामान्तरकरण की पूर्व जानकारी होने की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट का अन्य उज्र कब्जे को लेकर है, विरासत के प्रकरणों में कब्जा गौण होता है। अतः कब्जे की जांच एवं लगान अदायगी के दायित्व के विवेचन का कोई औचित्य ही नहीं है। अपीलान्ट का अन्य उज्र पुत्रियों का विवाह हो जाने व ससुराल रहने के कारण भी उनका हक समाप्त हो जाने का कथन किया है जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में किसी हिन्दु की विरासत में विवाहित अथवा अविवाहित पुत्रियों को लेकर कोई विभेदीकरण नहीं है अर्थात् पुत्रियों का चाहे विवाहित हो अथवा अविवाहित विरासती हक होता है।

अपीलान्ट द्वारा बाद बहस निर्णय दिनांक को निम्नानुसार न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की है–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1) 1990 Law Suit (Pat)- 37
(2) 1979 Law Suit (Raj) 106
(3) 2006-2007 (Supp.) RRT-34

अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा प्रथम न्यायिक नजीर में अपीलान्ट द्वारा हिन्दु कोपार्सनरी सम्पति में महिला का हक नहीं होने बाबत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा अपील में कहीं भी विवादित भूमियों को हिन्दु कोपार्सनरी की होने बाबत उज्र नहीं लिया है तथा यदि भूमियां हिन्दु कोपार्सनरी की हो तो इस बाबत सिद्ध किये जाने का दायित्व भी अपीलान्ट का था परन्तु अपीलान्ट द्वारा भूमियां हिन्दु कोपार्सनरी की होने के संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः यह नजीर प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा द्वितीय न्यायिक नजीर हिन्दु कोपार्सनरी सम्पति को लेकर है जिस बाबत प्रथम न्यायिक नजीर अनुसार ही यह इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा तृतीय न्यायिक नजीर मियाद एवं अधिकारों के विनिश्चयन के लिए नियमित वाद प्रस्तुत करने से संबंधित है। मियाद बाबत हमारे द्वारा पूर्व में विवेचन किया जा चुका है तथा इस प्रकरण में स्वीकृत स्थिति अनुसार रेस्पो. सं. 1 से 3 मृतक ईश्वर सिंह की पुत्रियां होना तथा ईश्वर सिंह की विरासत से उन्हें वंचित रखा जाना स्पष्ट है। अतः ऐसे स्पष्ट प्रकरणों में अनावश्यक वादकरण किये जाने की कोई विधिक उपादेयता नहीं है। उक्तानुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.04.2017 में पारित निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 25.02.1972 को अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में नामान्तरकरण अपास्त करते हुए प्रकरण में सुनवाई के लिए प्रकरण ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया है जिसे हम विधिक रूप से उचित नहीं पाते क्योंकि विवादित नामान्तरकरण के संबंध में निर्णय करने का अधिकार भू–अभिलेख अधिकारी को ही होता है, ग्राम पंचायत अविवादित नामान्तरकरणों का ही निष्पादन कर सकती है। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में सुनवाई हेतु प्रकरण ग्राम पंचायत के स्थान पर संबंधित तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया जाय। उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपरोक्त संशोधन के साथ बहाल रखते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

मिसल शुमार फैसल हो, आदेश सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(एल0 एन0 मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

Web Copy - Not Official